रजिस्ट्री सं. डी. (डी.एन.)-127 REGISTERED NO. D. (D.N.) 127

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण
EXTRAORDINARY
भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-Section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 122] नई दिल्ली, सोमवार, मार्च 13, 1989/फाल्गुन 22, 1910
No. 122] NEW DELHI, MONDAY, MARCH 13, 1989/PHALGUN 22, 1910

इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह अलग संकलन के रूप में रखा जा सके
Separate Paging is given to this Part in order that it may be filed as a separate compilation

विधि और न्याय मंत्रालय

(विधायी विभाग)

नई दिल्ली, 13 मार्च 1989

अधिसूचना

का.आ. 186(अ).—राष्ट्रपति द्वारा किया गया निम्नलिखित आदेश सर्वसाधारण की जानकारी के लिए प्रकाशित किया जाता है :—

आदेश

डा. टी.ए. पंडियन, 17 सेमनगोट कालोनी, मद्रास द्वारा एक अर्जी फाइल की गयी है जिसमें यह अभिकथन किया गया है कि राज्य सभा के आसीन सदस्य श्री मुरासोली मरन इस कारण संविधान के अनुच्छेद 101 और 102 के निबंधनों के अनुसार उक्त सदन की सदस्यता के लिए निरर्हित हो गए हैं कि उन्होंने, संविधान के अनुच्छेद 99 के अधीन ली गयी शपथ का अभिकथित रूप से अतिक्रमण किया है।

और उक्त अर्जी के संदर्भ में इस प्रश्न पर कि उक्त श्री मुरासोली मरन, ऐसी निरर्हता से ग्रस्त हो गए है या नहीं, संविधान के अनुच्छेद 103 के खंड (2) के अधीन निर्वाचन आयोग से राय मांगी गयी थी ।

और निर्वाचन आयोग ने अपनी यह राय दी है कि (उपावंध देखें) उक्त श्री मुरासेजी मरन, किसी ऐसे निरर्हता से ग्रस्त नहीं हुए हैं;

अतः अब, मैं, आर. वेंकटरामन, भारत का राष्ट्रपति, संविधान के अनुच्छेद 103 के खंड (1) के अधीन प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, निर्वाचन आयोग की राय के अनुसार यह विनिश्चय करता हूं कि उक्त श्री मुरासेली मरन, राज्य सभा का सदस्य बने रहने के लिए यथा अभिकथित किसी निरर्हता से ग्रस्त नहीं हुए हैं।

दिनांक : 4 मार्च, 1989 रामस्वामी वेंकटरामन,
भारत के राष्ट्रपति ।

भारत निर्वाचन आयोग

भारत निर्वाचन आयोग के समक्ष 1987 का संदर्भ मामला सं. 1

[संविधान के अनुच्छेद 103(2) के अधीन भारत के राष्ट्रपति से प्राप्त निर्देश]

संदर्भ : राज्य सभा के आसीन सदस्य श्री मुरासोली मरन की अभिकथित निरर्हता ।

राय

1.1 भारत के राष्ट्रपति ने संविधान के अनुच्छेद 103 के खंड (2) के अधीन निर्वाचन आयोग से इस प्रश्न पर राय मांगी है कि राज्य सभा के आसीन सदस्य श्री मुरासोली मरन, संसद सदस्य होने के लिए निरर्हता से ग्रस्त हो गए है या नहीं। यह प्रश्न डा. टी.ए. पंडियन, 17 सेमनगोट

केजीज, मद्रास 600010 ने भारत के राष्ट्रपति को संबोधित तारीख 12 दिसम्बर, 1986 के अपने पत्र में उठाया है।

1.2 पूर्वोक्त पत्र में डा. पंडियन ने यह अभिकथन किया है कि श्री मुरासोली मरन ने, संविधान के अनुच्छेद 99 के अधीन संविधान के प्रति निष्ठा के लिए स्वयं द्वारा ली गयी शपथ का अतिक्रमण किया है क्योंकि श्री एम. मरन ने, द्रविड़ मुन्नेत्र कषगम दल के अधिकृत पत्र "मुरासोली" में, जिसके वे संपादक थे, अपने लेखों और अन्य प्रकाशनों द्वारा भारत के संविधान को जलाने के लिए उद्दीप्त किया। डा. पंडियन ने अपने पत्र में आगे यह भी कथन किया है कि श्री मुरासोली मरन ने "मुरासोली" में एक ऐसा लेख भी लिखा है जिसके कारण भारतीय दंड संहिता की धारा 153क, जो धर्म और भाषा आदि के आधार पर अप्रीति से संबंधित है, के अधीन कारंवाई भी की जा सकती है। डा० पंडियन ने इस बात पर बल दिया है कि श्री मरन का आचरण, राज्य सभा के सदस्य के लिए अशोभनीय था और भारत के राष्ट्रपति से अनुरोध किया कि राज्य सभा की सदस्यता से उन्हें निर्रहित करने के लिए संविधान के अनुच्छेद 101, 102 और 103 के अधीन श्री एम. मरन के विरूद्ध कारवाई की जाए। उपरोक्त के समर्थन में या. पंडियन ने ता० 4-11-1986, 10-11-1986, 17-11-1986 और 18-11-1986 के ही "मुरासोली" की प्रतियां प्रस्तुत की हैं।

2.1 श्री पंडियन के पत्र से उत्पन्न होने वाले मुख्य विचारक निम्नलिखित हैं :—

(क) क्या श्री मरन ने पूर्वोक्त प्रकाशन करके और अपने आचरण से संविधान के अनुच्छेद 99 के अधीन स्वयं द्वारा संविधान के प्रति निष्ठा रखने की शपथ का अतिक्रमण किया है ?

(ख) क्या ऐसे अतिक्रमण से संविधान के अनुच्छेद 101, 102 और 103 के अधीन कोई निरर्हता हो जाती है ? यदि हां, तो क्या श्री एम. मरन ऐसी किसी निरर्हता से ग्रस्त हो गए हैं ?

2.2 मद्रास उच्च न्यायालय ने 1986 की रिट अर्जी स. 14189 आदि में (श्री के. अंबजगन और अन्य बनाम सचिव तमिलनाडु विधान सभा और अन्य) अपने निर्णय में यह अभिनिर्धारित किया था कि "जनता का निर्वाचित प्रतिनिधि जो अनुच्छेद 188 के अधीन शपथ या प्रतिज्ञान करता है भारत के संविधान में विश्वास और निष्ठा रखने को और भारत की संप्रभुता और अखंडता की मर्यादा बनाए रखने को बाध्य है और तदनुसार संविधान का एक भाग जलाना शपथ का भंग है।" भारत के संविधान का अनुच्छेद 99 और उसके अनुच्छेद 188 के समान है और मद्रास उच्च न्यायालय का पूर्वोक्त संप्रेक्षण संसद सदस्यों को भी समान रूप से लागू होता है। इस प्रकार संसद के सदस्य या राज्य विधान मंडल के सदस्य द्वारा संविधान या उसके किसी भाग को जलाया जाना यथास्थिति संविधान के अनुच्छेद 99 या अनुच्छेद 188 के अधीन उसके द्वारा ली गयी शपथ का भंग है।

2.3 राष्ट्रपति गौरव अपमान निवारण अधिनियम 1971 की धारा 2 में अन्य बातों के साथ-साथ संविधान या उसके किसी भाग को जलाने वाले व्यक्ति के लिए दंड का उपबंध है। अतः उक्त धारा निम्नलिखित रूप में है :—

"2. जो कोई किसी सार्वजनिक स्थान में या जनता को दृष्टिगोचर किसी अन्य स्थान में भारतीय राष्ट्रीय ध्वज को अथवा भारत के संविधान या उसके किसी भाग को जलाएगा, विकृत करेगा, विरुपित करेगा, अपवित्र करेगा, विदूषित करेगा, नष्ट करेगा या रौंदेगा या (चाहे बोले गए या लिखे गए शब्दों द्वारा अथवा कार्यों द्वारा) उसका अन्यथा अपमान करेगा वह कारावास से जिसकी अवधि तीन वर्ष तक की हो सकेगी या जुर्माने से या दोनों से दंडित किया जाएगा।"

ऊपर उद्धृत धारा के अधीन दोषसिद्धि के परिणामस्वरूप यदि दो वर्ष से अन्यून अवधि के लिए दंड अधिरोपित किया जाता है तो लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम 1951 (1951 का 43) की धारा 8(2) के दांडिक उपबंध लागू हो जाएंगे। इस प्रकार सिद्ध दोष ठहराया गया व्यक्ति दोषसिद्धि की तारीख से संसद या राज्य विधान मंडल के सदनों का सदस्य चुने जाने या बने रहने के लिए निरर्हित हो जाएगा। किन्तु यह धारा 8 की उपधारा (3) के उपबन्धों के अध्यधीन होगा। और उसकी निर्मुक्ति की तारीख से पांच वर्ष की और अवधि के लिए निरर्हित बना रहेगा। चूंकि डा. पंडियन के पत्र मे इस बारे मे कोई जानकारी नहीं दी गयी थी कि "मुरासोली" मे उसी अभिकथित आपत्तिजनक प्रकाशनों की बाबत की मुरासोली मरन के विरूद्ध कोई दांडिक कार्रवाई प्रारंभ की गयी है या नही। आयोग ने इस निमित्त जानकारी राज्य सरकार से प्राप्त करना उचित समझा। राज्य सरकार ने आयोग को सूचित किया है कि "संविधान के अनुच्छेद 99 के अभिकथित अतिक्रमण के लिए राष्ट्रीय गौरव अपमान निवारण अधिनियम 1971 या किसी अन्य सुसंगत अधिनियम के अधीन श्री मुरासोली मरन संसद सदस्य के विरूद्ध कोई दांडिक कार्रवाई प्रारंभ नहीं की गयी है।" उपरोक्त को ध्यान में रखते हुए लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 की धारा 8(2) के उपबंध श्री एम. मरन के कार्य के विरूद्ध की गयी शिकायत के मामले में लागू नहीं होते।

3. संविधान का अनुच्छेद 102 संसद की सदस्यता के लिए निरर्हता का जब कि अनुच्छेद 191 राज्य विधान मंडल की सदस्यता के लिए निरर्हता का उपबंध करता है। दोनों अनुच्छेदों की भाषा सभी व्यावहारिक प्रयोजनों के लिए एक जैसी है। इन अनुच्छेद में निरर्हता के बारे में अभिव्यक्त रूप मे उपबंध है और संसद को विधि द्वारा अतिरिक्त निरर्हताओं का उपबंध करने के लिए सशक्त करता है। भारत के संविधान के प्रति निष्ठा की शपथ के अतिक्रमण के लिए इन अनुच्छेदों मे से किसी में निरर्हित करने के लिए उपबंध नही है। कुमारन बनाम यूनियन ऑफ इंडिया (ए आई आर 1986 केरल 122) वाले मामले मे केरल उच्च न्यायालय ने यह अभिनिर्धारित किया था कि अनुच्छेद 164(3) (मंत्री द्वारा ली गयी शपथ) और अनुच्छेद 188 (राज्य विधान मंडल के सदस्य द्वारा ली गयी शपथ) का अतिक्रमण, निरर्हता के रूप में कार्य नहीं करेगा क्योंकि इसका प्रभाव संविधान के अधीन उपबंधित निरर्हताओं के आधारों में वृद्धि करना होगा और न्यायालय के लिए अतिरिक्त आधार सम्मिलित करना या अतिरिक्त निरर्हता की विवक्षा करना अनुज्ञात नहीं है। हाल ही के एक मामले में (1987 की मूल अर्जी सं. 32—जोसे पडिक्कल बनाम इब्राहिम सुलेमान सेठ और अन्य) केरल उच्च न्यायालय ने यह अभिनिर्धारित किया है कि संसद सदस्य द्वारा गणतंत्र दिवस समारोह मे भाग न लेने के लिए आह्वान करके संविधान के अनुच्छेद 99 के अधीन ली गई शपथ के अतिक्रमण से चाहे यह संविधान के अनुच्छेद 51क के अधीन मूल कर्तव्यों का अतिक्रमण ही न समझा गया हो; निरर्हता नहीं हो जाती। न्यायालय ने यह अभिनिर्धारित किया कि प्रथम प्रत्यर्थी (लोक सभा का आसीन सदस्य) के संसद सदस्य बने रहने के अधिकार का अपहरण नही होता और यह कि अर्जीकर्ता को, प्रत्यर्थियों (भारत संघ और निर्वाचन आयोग सहित) के विरूद्ध मामले की जांच करने और प्रथम प्रत्यर्थी को संसद सदस्य का पद धारण करने से निरर्हित करने के लिए परमादेश की रिट जारी करवाने का हक नही है।

4. ऊपर वर्णित विधिक स्थिति को ध्यान में रखते हुए यह जांच करना आवश्यक है कि डा. पंडियन के पत्र में अभिकथित श्री एम. मरन के आचरण से, श्री एम. मरन द्वारा संविधान के प्रति निष्ठा रखने के लिए ली गयी शपथ का अतिक्रमण होता है या नहीं क्योंकि यदि यह अतिक्रमण की कोटि में भी आता है तो इससे संविधान के अनुच्छेद 102 के अधीन स्वत: कोई निरर्हता नही होती। इन परिस्थितियों में, आयोग ने पक्षकारों को लिखित कथन आदि फाइल करने के लिए सूचना आदि जारी करना उचित नहीं समझा। पक्षकारों को व्यक्तिगत रूप से सुनवाई करने के लिए सूचना देने से भी उनको अनावश्यक परेशानी होती और बिना कोई उपयोगी प्रयोजन सिद्ध हुए अनावश्यक तथा परिहार्य व्यय होता।

5. उपरोक्त विधिक स्थिति को ध्यान में रखते हुए मेरी यह राय है और तदनुसार यह अभिनिर्धारित करता हूं कि श्री मुरासोली मारन, डा० टी.ए. पंडियन के पूर्वोक्त पत्र में कथित आधारों पर राज्य सभा का सदस्य बने रहने के लिए किसी प्रकार से निरर्हित नहीं हुए हैं। राष्ट्रपति से प्राप्त निर्देश उपरोक्त आशय की मेरी राय के साथ वापस किया जाता है।

नई दिल्ली : 26-12-1988 र.वे.स. पेरिशास्त्री, मुख्य निर्वाचन आयुक्त

[फा सं० 7/4/89-विधायी-II]

एस० के० रामस्वामी, संयुक्त सचिव

MINISTRY OF LAW & JUSTICE

(Legislative Department)

NOTIFICATION

New Delhi, the 13th March, 1989

S.O. 186(E).—The following order made by the President is published for general information:—

ORDER

Whereas a petition has been filed by Dr. T.A. Pandian, 17, Semmanpet, Kellys, Madras alleging that Shri Murasoli Maran, a sitting Member of the Council of States has become subject to disqualification for membership of the said House in terms of articles 101 and 102 of the Constitution on account of alleged violation of oath taken by him under article 99 of the Constitution:

And Whereas the opinion of the Election Commission was sought under clause (2) of article 103 of the Constitution, with reference to the said petition on the question whether the said Shri Murasoli Maran has become subject to such disqualification:

And Whereas the Election Commission has given its opinion (vide Annexure) that the said Shri Murasoli Maran has not become subject to any such disqualification:

Now, Therefore, I, R. Venkataraman, President of India, in exercise of the powers conferred on me under clause (1) of article 103 of the Constitution, do hereby decide, in accordance with the opinion of the Election Commission, that the said Shri Murasoli Maran has not become subject to any disqualification, as alleged, for being a member of the Council of States.

R. VENKATARAMAN, President of India

4th March, 1989.

ELECTION COMMISSION OF INDIA
BEFORE THE ELECTION COMMISSION OF INDIA

Reference Case No. 1 of 1987.

[Reference from the President of India under article 103(2) of the Constitution of India].

In re: Alleged disqualification of Shri Murasoli Maran, sitting member of Rajya Sabha.

OPINION

1.1 The President of India has sought the opinion of the Election Commission under clause (2) of article 103 of the Constitution of India on the question whether Shri Murasoli Maran, a sitting member of Rajya Sabha, has become subject to disqualification for being a member of Parliament. The question has been raised by Dr T.A. Pandian, 17, Semmanpet, Kellys, Madras-600 010, in his letter to the President of India, dated the 12th December, 1986.

1.2 In the aforementioned letter, Dr. Pandian has alleged that Shri Murasoli Maran violated the oath of allegiance to the Constitution of India taken by him under article 99 of the Constitution as Shri M. Maran had, by his own writings and other publications in the official organ of the Dravida Munnetra Kazhagam party, 'Murasoli', of which he was the editor, incited the burning of the Constitution of India. Dr. Pandian has further stated in his letter that Shri Murasoli Maran had also written an article in Murasoli which might even attract section 153A of the Indian Penal Code relating to disaffection on the ground of religion and language, etc. Dr. Pandian has asserted that Shri Maran's conduct was unbecoming of a member of Rajya Sabha and he desired the President of India to take action under articles 101, 102 and 103 against Shri M. Maran to disqualify him from the membership of Rajya Sabha. In support of the above, Dr. Pandian has furnished copies of 'Murasoli' dated 4-11-1986, 10-1-1986, 17-11-1986 and 18-11-1986.

2.1 The principal issues arising out of Shri Pandian's letter may be formulated thus:

(a) Has Shri M. Maran, by the publications aforementioned and his conduct violated the oath of allegiance to the Constitution of India taken by him under article 99 of the constitution of India ?

(b) Does such violation entail any disqualification under articles 101, 102 and 103 of the constitution of India ? If so, has Shri M. Maran become subject to any such disqualification ?

2.2 In its Judgment, dated 16th April, 1987, in Writ Petitions Nos. 14189, etc. of 1986 [Srhi K. Ambazhagan and others V. Secretary, Tamil Nadu Legislative Assembly and others, the Madras High Court held that "an elected representative of the

people who makes an oath or affirmation under aricle 188 is duty bound to bear true faith and allegiance to the Constitution of India and uphold the sovereignty and integrity of India and burning a part of the Constitution is, in terms, a breach of the oath". Article 99 of the Constitution of India corresponds to article 188 thereof and the aforementioned observations of the High Court of Madras apply with equal force in relation to members of Parliament. Thus burning of the Constitution of India or any part thereof by a member of Parliament or a member of a State Legislature amounts to a breach of the oath taken by him under article 99 or, as the case may be, article 188 of the Constitution of India.

2.3 Section 2 of the Prevention of Insult to National Honour Act, 1971, inter alia, provides for punishment of persons burning the Constitution of India or any part thereof. The said section is reproduced below:

"2. Insult to Indian National Flag and Constitution of India. Whoever in any public place or in any other place within public view burns, mutilates, defaces, defiles, disfigures, destroys, tramples upon or otherwise brings into contempt (whether by words, either spoken or written, or by acts) the Indian National Flag, or the Constitution of India, or any part thereof, shall be punishable with imprisonment for a term which may extend to three years or with fine, or with both".

Any conviction under the above quoted section resulting in the imposition of punishment for a term of not less than two years would, in turn, attract penal provisions of section 8(2) of the Representation of the People Act, 1951 (43 of 1951). Any person so convicted would become disqualified for being chosen as and for being a member of either House of Parliament or a State Legislature from the date of his conviction [subject, of course, to the provisions of sub-section (3) of the said section 8] and continues to remain so disqualified for a further period of five years since his release. As Dr. Pandian's letter did not contain any information as to whether any penal action had been initiated against Shri Murasoli Maran in respect of his alleged objectionable publications in 'Murasoli', the Commission thought it fit to obtain information in this behalf from the state Government. The State Government has informed the Commission that "no penal action had been initiated aginst Thiru Murasoli Maran, MP, under the Prevention of Insult to National Honour Act, 1971, or any other relevant Act for the alleged violation of article 99 of the Constitution of India". In view of the above, the provisions of section 8(2) of the Representation of the People Act, 1951 are obviously not attracted in the case of Shri M. Maran for the acts complained against him.

3. Article 102 of the Constitution provides for disqualifications for membership of Parliament whilst article 191 of the Constitution provides for the disqualifications for membership of State Legislatures The language of both the articles is, all practical purposes, identical. The articles provide expressly for disqualifications and empower Parliament to provide for additional disqualifications by law. Violation of the oath of allegiance to the Constitution of India has not been specifically provided for in either of these articles as entailing a disqualification. In Kumaran V. Union of India [AIR 1986 Kerala 122], the Kerala High Court held that the violation of oaths taken under article 164(3), (oath taken by a Minister) and 188 (oath taken by a member of the State Legislature) cannot operate as a disqualification as it would amount to the adding to the grounds of disqualification provided under the Constitution and it was impermissible for the court to import an additional ground or to imply an additional disqualification. In a more recent case (Original Petition No. 22 of 1987-Jose Padickal Vs. Ibrahim Sulaiman Sait and others), the Kerala High Court has held that the violation of oath of office under article 99 of the Constitution of India by a member of Parliament by given a call for boycott of Republic Day celebrations, even if assumed to be a violation of the fundamental duty under article 51A of the Constitution, does not entail any disqualification. The court held that the first respondent (a sitting member of the Lok Sabha) had not forfeited his right to continue as a member of Parliament and that the Petitioner was not entitled for issue of a writ of mandamus to the respondents (including the Union of India and the Election Commission) to hold necessary inquiry in the matter and disqualify the first respondent from holding the office of member of Parliament.

4. In view of the legal position as explained above, it is unnecessary to make any inquiry as to whether the

conduct of Shri M. Maran as alleged in Dr. Pandian's letter amounts to violation of the oath of allegiance to the Constitution of India taken by Shri M. Maran, for even if it amounts to such violation, it would not per se entail any disqualification under article 102 of the Constitution. In the circumstances, the Commission did not think it appropriate to issue notice to the parties to submit their written statements, etc. Any notice to the parties for hearing them in person would have meant unnecessary harassment to the parties and would have put them to unnecessary and avoidable expenditure without serving any useful purpose.

5. In view of the legal position as explained above, I am of the opinion, and accordingly hold, that Shri Murasoli Maran did not incur any disqualification for continuing as a member of the Rajya Sabha on any of the grounds stated in the aforementioned letter of Dr. T.A. Pandian. The reference received from the President is hereby returned with my opinion to the above effect.

R.V.S. PERI SASTRI, Chief Election Commissioner

New Delhi,
the 26th December, 1988.

[F.No. 7(4)/89-Leg.II]

M.K. RAMASWAMY, Jt. Secy.

683 GI/89—3

Printed by the Manager, Govt. of India Press, Ring Road, New Delhi-110064
and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054, 1989